

कार्यालय

क्रमांक :

दिनांक :

श्रीमान् वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- श्री पद पदस्थापन

के द्वारा कराये गये इलाज के पुनर्भरण की राशि स्वीकृत करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री पद
पदस्थापन के द्वारा स्वयं/आश्रित का उपचार राज्य के
निजि/ अनुमोदित चिकित्सालय में करवाया गया है, जिसकी राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या)
नियम 2013 के तहत विवरणानुसार राशि स्वीकृत योग्य है।

क्र०स०	विवरण	दर	मांग की गई राशि	स्वीकृत योग्य राशि
1	दवाईयों पर किया गया व्यय	अधिकतम 90 प्रतिशत		
2	प्रयोगशाला जांच एवं अन्वेषण पर व्यय	अनुमोदित दर अन्यथा अधिकतम 70 प्रतिशत		
3	ऑपरेशन थियेटर चार्ज	50 प्रतिशत एवं अधिकतम 5000/-		
4	एनेस्थिसिया चार्ज	50 प्रतिशत एवं अधिकतम 5000/-		
5	डॉक्टर फीस	Rs.400/- per day or actual whichever is less subject to the maximum limit of Rs.20,000/-		
6	रूम चार्ज	अनुमोदित दर		
7	ब्लड बैंक चार्ज	अनुमोदित दर		
8	Dialyses Charges	अनुमोदित दर		
9	Thalassemia Major	At the rate approved under CM Relief Fund upto the extent of Rs 7 lacs.		
10	अन्य व्यय			
11				
योग				

उक्तानुसार राशि स्वीकृत करने हेतु कार्मिक का प्रकरण मय शपथ पत्र श्रीमान् को प्रस्तुत है।

संस्था प्रधान
मोहर

सहायक लेखाधिकारी
मोहर

तला शिक्षा अधिकारी
मोहर

